

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के पत्र संख्या-94 दिनांक 24/04/2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अन्तर्गत मानक मद-10-जलकर व 17-किराया/गृहकर की मद में यदि आपका कार्यालय किराये के भवन में स्थित है और उक्त भवन से सम्बन्धित किराये की स्वीकृति शासन/मुख्यालय द्वारा प्रदान की गयी है / प्राप्त है तो सम्पूर्ण वर्ष हेतु वाँछित किराये के भुगतान हेतु वास्तविक बजट की माँग औचित्य सहित निर्धारित प्रारूप-2 पर दिनांक 20/05/2019 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे परन्तु कतिपय जनपदों द्वारा अभी भी उक्त मद में बजट की माँग नहीं की गयी है जिससे बजट का आवंटन नहीं किया जा पा रहा है ।

अतएव उक्त के क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आप द्वारा उक्त मद में अभी तक बजट की माँग नहीं की गयी है तो विलम्बतम दिनांक 05/06/2019 तक बजट की माँग तत्काल करना सुनिश्चित करें । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले माँगपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य, कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र सं० व दिनांक:उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:- एडीशनल कमिश्नर(किराया/सम्पत्ति),वाणिज्य कर,मुख्यालय,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के क्रम में अपने स्तर से भी निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य, कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।